

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के पत्र क्रमांक एफ.6(9) परीक्षा क/प्राध्यापक- (स्कूल शिक्षा)/ राजनीति विज्ञान (छात्र)/2015-16/2588 दिनांक: 06.09.2017 के द्वारा प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) - राजनीति विज्ञान वेतन श्रृंखला पी.बी. 2 (9300-34800) ग्रेड वेतन-4800 के पद पर चयनोपरांत संलग्न सूची में विवरणांकित अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किये जाने के फलस्वरूप इन अभ्यर्थियों को प्राध्यापक राजनीति विज्ञान(स्कूल शिक्षा) के पद पर दो वर्ष के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (प्रोबेशनर ट्रेनी) के रूप में नियुक्ति प्रदान की जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) - राजनीति विज्ञान के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। इन्हे परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कार्यग्रहण करने की दिनांक से राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ1(12)डीओपी/ए-11/2005 दिनांक 20.01.2006 एवं एफ 12(06)एफडी(नियम)/2005 दिनांक 13.03.2006 एवं एफ 14(1)एफडी/रूल्स/2014 दिनांक 24.12.14 के प्रावधानानुसार राज्य सेवा में कार्यरत चयनित अभ्यर्थियों को विद्यमान वेतन एवं नव चयनित कार्मिको को नियत पारिश्रमिक नियमानुसार देय होगा। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 8(1)कार्मिक/क-2/03 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानान्तर्गत इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी।

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्यवाही आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगे:-

1. अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा ही जारी किया गया हो जो कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर होना चाहिए एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि "अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमीलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए।" यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमीलेयर की श्रेणी में आता है तो उनको कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे एवं वस्तुस्थिति की जानकारी तत्काल इस कार्यालय को भिजवाई जावे।
2. अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र माता पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना वांछित है। विवाहित महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र जारी किया हुआ हो तो वह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, संबंधित अभ्यर्थी अपनी माता-पिता की आय के आधार पर जारी पिता के नाम से सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही मान्य होगा। यदि संबंधित अभ्यर्थी ऐसा नहीं करता है तो उसे कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे एवं वस्तुस्थिति की जानकारी तत्काल इस कार्यालय को भिजवाई जावे।
3. भरतपुर एवं धौलपुर जिले के जाट समुदाय वर्ग को राज्य अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल किये जाने सम्बंधी अधिसूचना दिनांक 10.01.2000 को माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा रिट पिटीशन संख्या डी.बी. सी. डब्ल्यू. एल. 6046/99 रतनलाल बागड़ी बनाम सरकार व अन्य निर्णय दिनांक 10.08.2015 द्वारा निरस्त किये जाने के परिप्रेक्ष्य में शासन के कार्मिक विभाग के पत्र क्रमांक 17(9)कार्मिक/क-2/2015 के अनुसार उक्त निर्णय दिनांक 10.08.2015 से भरतपुर एवं धौलपुर के जाट समुदाय को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे किसी अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं करवायें।
4. अभ्यर्थी के शैक्षिक / प्रशैक्षिक अंकतालिकाओं / प्रमाण पत्रों एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की जाकर उनका मूल दस्तावेजों के साथ मिलान करें। संबंधित अभ्यर्थियों से मूल निवास प्रमाण पत्र, विवाहित अभ्यर्थियों से विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, तलाकशुदा/विधवा महिलाओं से पुनर्विवाहित नहीं होने सम्बंधी शपथ पत्र एवं अन्य नाम-उपनाम सम्बंधी शपथ पत्रादि प्राप्त करने के उपरांत ही इन्हें कार्यग्रहण करवाया जावे।
5. सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मूल प्रति ही प्राप्त कर कार्यालय अभिलेख में सुरक्षित रखेंगे। जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राज्य सेवा में सेवारत हैं, उनके लिये यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।
6. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित जिला पुलिस-अधीक्षक द्वारा प्रदत्त सदाचरण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत एवं सदाचरण रिपोर्ट में कोई विपरीत टिप्पणी नहीं होना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा स्थिति में कार्यभार ग्रहण नहीं करवायें। जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राज्य सेवा में सेवारत हैं, उनके लिये सदाचरण रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।
7. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)डीओपी/ए-2 /95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न संतानो के



फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या 02 से अधिक नहीं होने संबंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।

8. जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की है उन्हें कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से शपथ पत्र लेवें कि उनके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं। दस्तावेज के त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति बिना किसी पूर्व नोटिस के निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतन्त्र होगा।
9. चयनित अभ्यर्थी विभाग की वेबसाइट <http://education.rajasthan.gov.in/> से नियुक्ति आदेश की प्रति डाउनलोड कर समस्त आवश्यक औपचारिकताएँ पूर्ण करते हुए संबंधित पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार करने हेतु अधिकृत होंगे।

उक्त नियुक्तियाँ माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1464-1466/2017 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम कैम्टन गुरविन्दर सिंह व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 09.05.2017 के निर्णय एवं एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 8857/2017 अरविन्दकुमार व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 02.06.2017 के निर्णय के अधधीन रहेगी। इन्हे उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक **06-10-2017** तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज सूचनाएं सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के इनकी सेवाएं समाप्त की जा सकेगी।
संलग्न- 01 आशार्थियों की सूची।



(नथमल डिडेल)

निदेशक


माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक :- शिविरा/मा/संस्था/सी-6/नियुक्ति- राजनीति विज्ञान /पीएससी-15/2017

दिनांक :- 27/9/17

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राज. जयपुर।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2)/कार्मिक (ग्रुप-2) विभाग, राज. जयपुर।
3. सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. संबंधित उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा /जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-1/II)
5. कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर आदेश अपलोड करने हेतु
6. संबंधित प्रधानाचार्य राउमावि/संबंधित आशार्थी
7. अनुभाग अधिकारी गोपनीय प्रतिवेदन/वरिष्ठता/ओएसी प्रभाग कार्यालय हाजा।/ निजी/रक्षित पत्रावली।



संयुक्त-निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा-राजस्थान,
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-6/नियुक्ति-राजनीति विज्ञान/पीएससी-15/2017 दिनांक- 24.09.2017

क्रसं	मेरिट नं.	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	जन्म तिथि	स्थायी मता	व्ययन वर्ग	पदस्थापन स्थान(राज्यवि)	DISTRICT
1	2065	CHANDNI TAK	JUGRAJ TAK	23-08-1989	रेल्वे स्टेशन के सामने, मेढता सिटी, नागौर	OBCF	G.SR.SEC.SCHOOL DABARIYANI KALAL (08140302404)	NAGOUR
2	1142	RAJESH KUMAR GURJAR	RAMESHWAR LAL	01-08-1981	ढाणी मंडा, ग्रा.पो बगोवा, तह. नीम का थाना, सीकर	OBCM	G AADARSH SSS BOGHERA, SARDARSHAHAR (08040303503)	churu
3	1216	SURENDRA SINGH	LAXMAN SINGH RAJPUT	10-10-1983	ग्राम सामंतपुरा, पोस्ट अलीपुर, तह. भूसावर, भरतपुर	GENM	G.SR.SEC.SCH. KHOPAR, CHHABRA (08310401905)	BARAN
4	2077	ANITA KUMARI	PRATAP SINGH	05-08-1986	ग्राम विधवा आश्रुणा, पोस्ट विधवा आश्रुणा,	GENF	G AADARSH SSS PARSANEU, RATANGARH (08040600405)	churu
5	2086	ASHA KUMARI KAKODIA	GANPAT RAM	15-07-1986	डी-76 हसन खां मेवातनगर, अलवर	SCF	GOVT. SS. KARODI, SIKRAI (08110500104)	DAUSA
6	2088	RAJKUMARI VERMA	RAJENDRA PRASAD VERMA	11-02-1985	प्लॉट नं 17ए एकता नगर, मनोहरपुरा रोड, जगतपुरा, जयपुर	SCF	GOVT SEN.SEC.SCH KACHOLIYA, BASSI (08120805405)	JAIPUR
7	2149	SUNITA DEVI	RAM SINGH	08-05-1980	गोशाला के पास बार्ड नं 27, बिडावा, झुझुनू	GENF	GOVT. ADARSH SR.SEC.SCH., MAHAWA, NEEM KA THANA (08130703906)	SIKAR
8	2204	SARITA KUMARI MUNIYA	PRATAP SINGH MUNIYA	24-07-1986	मु 0 खेडिया, पोस्ट, ताम्बेसरा, सज्जनगढ, बांसवाडा	STF	GOVT SENIOR SEC. SCHOOL GANGARTALAI, GANGADTALAI (08281103610)	BANSWARA
9	2208	SUNITA MEENA	SHRIRAM MEENA	01-01-1976	ग्राम बहवा, तह 0 बस्सी, जयपुर	STF	GOVT SR.SEC.SCH KHORASHYAMDAS, JALSU (08122906101)	JAIPUR
10	1362	MAMTA GOYAL	JAGDISH PRASAD	05-06-1983	जयबालाजी किराना स्टोर, रगबाडी, कोटा	GENF	GOVT SENIOR SECONDARY SCHOOL LATURI, SANGOD (08300501103)	KOTA
11	1390	ANITA OJHA	BANSI LAL OJHA	09-04-1984	बार्ड नम्बर 17 कोर्ट रोड, टेगौर स्कूल के पास, सूरतगढ, गंगानगर	GENF	GOVT.SR.SEC.SCH. SANGITA, SURATGARH (08010852605)	GANGANAGAR
12	1616	VIJAY LAXMI YADAV	BHIWA RAM YADAV	14-11-1983	प्लॉट नं 104 आर्यनगर, मुरलीपुरा, जयपुर	OBCF	GOVT SENIOR SEC.SCH. JAWANPURA, VIRATNAGAR (08120201204)	JAIPUR
13	1984	MANJU	SULTAN SINGH	07-02-1983	सी-73 मुरलीधर व्यास नगर, बीकानेर	SCF	G.SR.SEC.SCHOOL GIRLS, LUNKARANSAR, (08030215137)	BIKANER
14	130	RAMESH CHAND CHOUDHARY	CHHITAR RAM CHOUDHARY	10-07-1989	मु 0पो रामपुरा उत्ती, वाया बगरू, सांगानेर, जयपुर	GENM	GOVT.SR.SEC.SCHOOL, BAWARWALA, SEDWA (08171700601)	BARMER
15	159	SHANKAR RAM	BHIKHA RAM	04-07-1987	93 ओडो का बास, ग्रा 0पो सर, तह 0 लूणी, जोधपुर	GENM	GOVT.SR.SEC.SCHOOL BHALGAON, SEDWA (08171700701)	BARMER
16	286	PREM PRAKASH	SURJA RAM	20-07-1990	ग्रा.पो बडाढर वाया खुडी बडी, तह. धोद, सीकर	GENM	G.SR. SEC. SCHOOL, MANKASAR, KOLAYAT (08030311401)	BIKANER
17	671	SURENDRA SINGH CHOUDHARY	DEVA LAL JAT	01-01-1981	ग्रा.पो. बगडी, तह.पीपलू जिला टोक	GENM	GOVT. SR. SEC. SCH. SIDRA, NEWAI (08220316101)	TONK
18	677	MOHAN SINGH	ACHAL SINGH	15-09-1982	मु.पो. चवरछा, तह 0 आहोर, जालौर	GENM	AADRASH GOVT. SR. SEC. SCHOOL TURA, SAYLA (08180307107)	JALOR
19	830	DINESH SINGH	RAM SINGH	05-04-1985	370 महादेवजी की गली, मु.पो. मादा, तह देसूरी, पाली	GENM	G.SR.SEC.S., KOT SOLANKIAN, DESURI (08201000101)	PALI

20	945	RAJENDER SINGH	AJMER SINGH	25-07-1979	खानूवाली, तहड घडसाना, गंगानगर	OBCM	GOVT.SR.SEC.SCH. NEW MANDI GHARSANA, GHARASANA (08010645629)	GANGANAGAR
21	1307	JETHA RAM	CHAINA RAM	19-07-1983	श्री. पो. टिबना, तह. शेखड, जोधपुर	SCM	GOVERNMENT HIGHER SECONDARY SCHOOL, SABU SINGH KI DHANI, DEVRAJGARH, SHERGARH (08150309801)	JODHOUR
22	1577	RAJ KUMAR MEENA	BADRI NARAYAN MEENA	02-06-1986	श्री.पो.दांतली बाया आंघी तह. तमवाशमगड, जयपुर	STM	GOVT. HR.SEC. SCHOOL NANDSHA, SAHADA (08240700101)	BHILWARA



(नथमल डिडेल)

आई ए एस

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर